

कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश

(विधि -अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक 28 ,फरवरी, 2013

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर ,
वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।

शासन की विज्ञप्ति संख्या KA.NI.-2-119/XI-9(34)/12-U.P. Act-5-2008-Order-(86)-2013 , Dated 01-02-2013 (फोटो प्रति संलग्न) द्वारा एशियन डेवलपमेन्ट बैंक के बोर्ड आफ गवर्नर्स की दिनांक 02.05.2013 से 05.05.2013 तक प्रस्तावित 46 वीं वार्षिक बैठक के संबंध में एशियन डेवलपमेन्ट बैंक को की जाने वाली विभिन्न वस्तुओं की बिक्री / आपूर्ति पर करमुक्ति, इस शर्त के साथ अनुमन्य की गयी है कि ऐसा विक्रेता व्यापारी कमिशनर, वाणिज्य कर उ0प्र0 द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र, एशियन डेवलपमेन्ट बैंक से उक्त परिप्रेक्ष्य में किये जाने वाले संव्यवहारों के संबंध में प्राप्त करके अपने कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा । इस विज्ञप्ति के प्राविधानों के अनुसार इस निमित्त प्रमाण पत्र को फार्म-A के संलग्न प्रारूप में निर्धारित किया जाता है।

फार्म-A के रखरखाव की प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी :-

- 1- उक्त प्रमाण पत्र एशियन डेवलपमेन्ट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा अपने पदनाम व मोहर के अंकन सहित हस्ताक्षरित किया जायेगा ।
- 2- उक्त प्रमाण पत्र प्रत्येक व्यापारी वार पृथक-पृथक जारी किया जायेगा और इसमें संबंधित व्यापारी से किये गये समस्त संव्यवहारों का इन्द्राज किया जायेगा ।
- 3- उक्त प्रमाण पत्र तीन प्रतियों में जारी किया जायेगा जिसकी मूल व द्वितीय प्रति संबंधित विक्रेता व्यापारी को दी जायेगी तथा तीसरी प्रति एशियन डेवलपमेन्ट बैंक के जारीकर्ता प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपने अभिलेख पर रखी जायेगी । मूल प्रति संबंधित विक्रेता व्यापारी द्वारा अपने कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी ।

यह पत्र कमिशनर वाणिज्य कर के आदेश के क्रम में उनके अनुमोदन के उपरान्त प्रेषित किया जा रहा है ।

संलग्नक उपरोक्तानुसार ।

(योगेन्द्र कुमार)

एडीशनल कमिशनर (विधि) वाणिज्य कर

मुख्यालय , उत्तर प्रदेश

पृ0प0सं0एवं दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- (1) प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ।
- (2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना , उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- (3) संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, , उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ (दो प्रतियों में)
- (4) अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।
- (5) समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर वाणिज्य कर, उ0प्र0 ।

- (6) समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर , 30प्र0 मुख्यालय लखनऊ ।
- (7) एडीशनल कमिशनर, ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0/ अपील), वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश ।
- (8) समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक / वि0अनु0शा0 / अपील / कारपोरेट) वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।
- (9) समस्त डिप्टी कमिशनर / असिस्टेंट कमिशनर / वाणिज्य कर अधिकारी (क0नि0 / वि0अनु0शा0/स0द0) वाणिज्य कर,, उत्तर प्रदेश ।
- (10) अपर निदेशक संयुक्त निदेशक / उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ ।
- (11) महालेखाकार, 171ए अशोक नगर, इलाहाबाद ।
- (12) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान ,विक्रमादित्य मार्ग ,लखनऊ।
- (13) प्रबन्धक, इन्सैटिव,, पिकप, राणाप्रताप मार्ग लखनऊ ।
- (14) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।
- (15) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेन्ट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिस आफ द ए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
- (16) विकास आयुक्त, नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन, सेक्टर 10 नोयडा ।
- (17) एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 /ज्वाइन्ट कमिशनर/डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिशनर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य) गाजियाबाद ।
- (18) एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1/ ग्रेड-2/ ज्वाइन्ट कमिशनर/डिप्टी 0कमि0/असि0कमि0(उ0न्या0कार्य0)लखनऊ/इलाहाबाद।
- (19) मैनुअल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10 प्रतियाँ में ।
- (20) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियाँ ।
- (21) समस्त अनुभाग अधिकारी , वाणिज्य कर, मुख्यालय ।
- (22) अध्यक्ष, 30प्र0 प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो0 7, देवेन्द्र पुरी कालोनी ,बांसमण्डी, लखनऊ ।
- (23) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू, लखनऊ ।
- (24) श्री हुलास राय सिंघल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी व्यापार सभा, कैम्प कार्यालय इण्डस्ट्रियल इस्टेट, रेलवे रोड, देवबन्द (सहारनपुर) 30प्र0 ।
- (25) श्री श्याम बिहारी मिश्र, 30प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 87/349 आर्या नगर, सगीत टाकिज के पीछे कानपुर ।
- (26) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, 30प्र0 प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुँज, 66, शास्त्री नगर, लखनऊ ।
- (27) श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति , 29बी विधायक निवास दारुलसुफा लखनऊ।
- (28) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स , 14/26 सिविल लाइन्स कानपुर ।
- (29) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 2/302 विकास खण्ड 4/180 गोमती नगर लखनऊ ।
- (30) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ ।
- (31) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0 ऐशबाग रोड, लखनऊ ।
- (32) आल इन्डिया मैनुफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद ।
- (33) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 निराला नगर, लखनऊ ।
- (34) राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्य0) के माध्यम से ।
- (35) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली ।
- (36) श्री नरेन्द्र कु0 गुप्ता, (नन्दी) राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी, समाजवादी व्यापार सभा (कैम्प कार्यालय 1/274, चिरंजीव विहार, निकट चांसलर क्लब, गाजियाबाद ।
- (37) श्री शिवकुमार अरोड़ा, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि 30प्र0 टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार, एस0एस0कालेज रोड, खतौली, मुजफ्फरनगर।
- (38) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 30प्र0 शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर ।
- (39) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस ।
- (40) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़, 15 टैगोर टाउन इलाहाबाद ।
- (41) डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ ।

- (42) श्री बी०एन०राय, एडवोकेट,अध्यक्ष, दि यू०पी०टैक्स बार एसो० 45 चन्द्रिका कालोनी,सिगरा वाराणसी ।
- (43) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1,कुँजगली,चौक,वाराणसी ।
- (44) श्री पी०एस०जैन, 138 ए ब्लॉक ए सेक्टर 27 नोयडा ।
- (45) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी)३०प्र०ट्रक आपरेटर्स ,फेडरेशन (रजि०),पुलदाल मण्डी सहारनपुर ।
- (46) श्री आर०डी०गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी ,इलाहाबाद ।
- (47) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा०ज०पा०निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद ।
- (48) श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल ३०प्र० प्रदेश ,19 सुरेशबाग, कानपुर ।
- (49) इन्डियन इण्डोएसो०, 159/ए -8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक,मु०नगर ।
- (50) संयोजक,टैक्सेशियों एक्डमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू०पी०,52,नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ
- (51) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस , आगरा ।
- (52) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को०पा० स्टेट लि० 51-बी उद्योग नगर कानपुर।
- (53) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू०पी०रोलर फ्लोर मिलर्स एसो० 3-एक्स,गोखले मार्ग लखनऊ ।
- (54) श्री दिनेश अरोरा ३०प्र० वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो० 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर ।
- (55) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष ३०प्र० टेन्ट व्यापार एसो० 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ ।
- (56) श्री अरुण कुमार अवस्थी,प्रान्तीय सँगठन मन्त्री,अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल,(पंजी०-बी-29,विधायकनिवास, दारुल सफा,लखनऊ ।
- (57) माननीय अध्यक्ष,व्यापार कर सलाहकार समिति,सचिवालय,लखनऊ ।
- (58) श्री गोपाल अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष , समाजवादी व्यापारी सभा , ३०प्र०, 6ए, राजभवन कालोनी, लखनऊ ।
- (59) श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष ३०प्र० कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए,३० बी०एन०रोड,अमीनाबाद लखनऊ ।
- (60) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन ,विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ ।
- (61) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड ,कैसर गंज रोड मेरठ ।
- (62) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी०) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट ,हाथरस ।
- (63) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर ।
- (64) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष आर प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (३०प्र०)
- (65) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, ३०प्र०उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद ।
- (66) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष,राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर,गली न०-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ ।
- (67) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।
- (68) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिशन्स, आर०डी०सी०-51, राजनगर , गाजियाबाद ।
- (69) श्री बी०एन०शुक्ला, अध्यक्ष, यू०पी० पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट,1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ ।
- (70) श्री अमरनाथ मिश्र, महामंत्री, लखनऊ व्यापारी समन्वय समिति, 244/65, यहियागंज, लखनऊ ।
- (71) श्री रवि सन्डूजा, एडवोकेट, रवि एसोसिएट्स, डी-194, सेक्टर-10, नोयडा, गौतमबुद्ध नगर (यू०पी०) ।
- (72) श्री अरविन्द कालरा, सदस्य वैट एडवाइजरी कमेटी, उत्तराखण्ड ।
- (73) श्री आलोक कुमार गुप्ता, महासचिव, यू०पी० पेपर मर्चेन्ट्स, एसोसिएशन, एफ 43, सेक्टर-11, नोएडा ।
- (74) प्राधिकृत अधिकारी एशियन डेवलपमेन्ट बैंक, को एडीशनल कमिशनर , वाणिज्य कर गौतमबुद्ध नगर जोन नोएडा के माध्यम से ।

एडीशनल कमिशनर (विधि) वाणिज्य कर
मुख्यालय , उत्तर प्रदेश

FORM-A

Certificate Prescribed by the Commissioner Commercial Taxes U.P.

To Be Issued By Asian Development Bank

To The Sellers / Suppliers In Respect of The Goods Purchased

For 46th Annual Meeting Of The Board of Governors.

Serial Number :

Date :

Particulars of the Goods :

1- Name and Address of the Seller/ Supplier : -----

2- TIN of the Seller / Supplier : -----

Sl. No.	Challan No. & Date	Sale Invoice No. /Bill No. & Date	Details of the Goods	Quantity / Measurement / Weight of the goods	Value of goods
1	2	3	4	5	6

Declaration

I -----S/O,D/O,W/O -----Authorized by the Asian Development Bank for this purpose do hereby declare and verify that The goods of the aforesaid description have been purchased and utilized by the Asian Development Bank in respect of 46th Annual Meeting of Board of Governors as per Notification No. KA.NI.-2-119/XI-9(34)/12-U.P. Act-5-2008-Order-(86)-2013 Dated 01-02-2013 .

Date :

Signature of the Authorized Signatory
Asian Development Bank
(Seal)

उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्या-क0नि0-2-119/ग्यारह-9(34)/12-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(86)-2013
लखनऊ: दिनांक: 01 फरवरी, 2013

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 7 के खण्ड (ग) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निदेश देते हैं कि दिनांक 2 मई, 2013 से प्रारम्भ होकर दिनांक 5 मई, 2013 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान एशियन डेवलपमेंट बैंक (ए0डी0बी0) के बोर्ड आफ गवर्नर्स की 46वीं प्रस्तावित वार्षिक बैठक के सम्बन्ध में विभिन्न संव्यवहारों में अन्तर्ग्रस्त एशियन डेवलपमेंट बैंक के व्यवहारी द्वारा माल के विक्रय के आवर्त पर उक्त अधिनियम के अधीन किसी कर का उद्ग्रहण और भुगतान नहीं किया जायेगा, यदि ऐसा व्यवहारी उक्त माल के क्रय के सम्बन्ध में कमिश्नर वाणिज्यकर द्वारा यथानिर्धारित प्रारूप में उक्त बैंक से प्रमाण-पत्र प्राप्त करके अपने कर निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दे।

आज्ञा से,



(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।

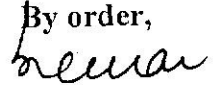
UTTAR PRADESH SHASAN
SANSTHAGAT VITTA, KAR EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of Government notification no. KA.NI.-2-119/XI-9(34)/12-U.P.Act.-5-2008-Order-(86)-2013 dated February 01, 2013:

NOTIFICATION

No.- KA.NI.-2-119 /XI-9(34)/12-U.P.Act.-5-2008-Order-(86)-2013
Lucknow::Dated::February 01, 2013

In exercise of the powers under clause (c) of section 7 of the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008 (U.P.Act no. 5 of 2008), the Governor is pleased to direct that on the turnover of sale of the goods by a dealer to the Asian Development Bank involved in various transactions in connection with the proposed 46th annual meeting of the Board of Governors of the Asian Development Bank (A.D.B.) to be held during the period commencing on May 2, 2013 and ending with May 5, 2013, no tax shall be levied and paid under the said Act, if such dealer furnishes to his Assessing Authority a certificate obtained from the said Bank in respect of purchase of the goods in such Form as may be prescribed by the Commissioner of Commercial Taxes.

By order,

(Biresk Kumar)
Pramukh Sachiv

